

उपखण्ड अधिकारी फर्द अहकाम
 शिव (बाड़मेर) (नियम-26)
 अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
आम जनता आम्बसिंह की ढाणी जरिये शम्भूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत, निवासी आम्बसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (06)		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 131, 136)

मुकदमा नम्बर 104 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.03.2024	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 18.05.2024 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर) प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तदा होकर पत्रावली पूर्ण आदेशिकानुसार दिनांक 29.5.24 को पेश हो।</p>	<p>2106-07 18/3/24</p>
13.5.24		
29.5.24	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तदा होकर पत्रावली पूर्ण आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 21.6.24 को पेश हो।</p>	
21.6.24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी की तामिली हेतु दिनांक 03.07.24 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 शिव

नम्बर
अहक
हुकम
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुकम

12.6.25

पत्रावली पेश। जर्मी वकील उपस्थित।
पत्रावली वास्ते। रिपोर्टिंगण का इंजार्
होकर दिनांक 10.7.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

10.7.25

श्रीमान पीठासीन अधिकारी के
मुख्यालय से बाहर होने से इल्तवा
होना पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 1.8.25 को पेश हो।

01.08.25

पत्रावली पेश। जर्मी वकील उपस्थित।
जोर शिव से फौज रिपोर्टिंगण का
बाकजुद तामिली अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते
बहुम हेतु दिनांक 28.08.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव


04.09.25

पत्रावली पेश। जर्मी वकील उपस्थित।
पत्रावली से जर्मी वकील की बहुम हुनी गई एवं
पत्रावली का अनुलोदन किला जमाना जोर रिपोर्टिंगण से
है कि फौज पर विधालय नवन तरमीन के अन्दर
बना हुआ है। साथ ही विधालय की तरमीन से
रहवासी छा बने हुए पाले गले हैं। तरमीन
दुस्त्री फौज लिमिति से परिवर्तन होने पर अफवा
किन्नत होने पर की जा सकती है जबकि
उक्त फौज रिपोर्टिंगण अनुलोदन विधालय तरमीन के
अन्दर ही बनी हुई होने से तरमीन दुस्त्री
की अनुवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
शिव

उक्त तरसीप दुसरी आवेदन चलते प्रोडप रही
होने तथा पूर्व की तरसीप को के पा
विधालय अदालत होने से आवेदन अस्वीकार
किया जाकर खारिज किया जाता है साथ
ही तरसीपदा शिव को प्रादेशित किया जाता
है कि खसरा नम्बर 964 जो मुसकिन मारा
में निपणानुगत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त
हरापा जावे।

पत्रावली फेलत शुभा होकर नम्बर
से कद होकर दायित्व दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
शिव